सुखपाल बगै0 बनाम अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका नगर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नगर (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी – दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस.)

तारीख दायरा:–26.11.2014

वाद संख्या :– 105/2014

1. सुखपाल
2. नरेश चन्द
3. निहालसिंह

पिसरान स्व0 झम्मन जाति माली निवासी कस्बा नगर तहसील नगर जिला डीग। ————वादीगण

बनाम

श्रीमान अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका नगर जिला डीग। ————————प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट.

उपस्थितः–

1. अधिवक्ता श्री संदिप मदान वादीगण।
2. अधिवक्ता श्री अनिल कुमार गोयल प्रतिवादी।

दिनांकः–21.02.2025

निर्णय

वादीगण द्वारा यह वाद इस न्यायालय मे इस आशय का संस्थित किया है कि आराजी खसरा नम्बर 654/0.07, 655/0.04, 659/0.11 बाके कस्बा नगर तहसील नगर वादीगण व उनकी अन्य परिवारीजन बहन बगै0 की खातेदारी की आराजी है। जिस पर वादीगण अपने हिस्सो के मुताबिक काबिज है जिसमे वादीगण की निजी रिहायश व प्लोट बने हुये है तथा निजी रास्ते वादीगण ने बनाये हुये है। प्रतिवादी गैरकानूनी तरीके से प्रशासनिक शक्तियो का दुरूपयोग करते हुये बिना कीमत दिये तथा अधिग्रहीत किये जबरन वादीगण बगै0 की उक्त निजी खातेदारी के उक्त नम्बरान मे सी.सी. रोड बनाना चाहते है तथा रास्ता बगै कायम करना चाहते है और वादीगण को बेदखल करने की फिराक मे है जिसकी बाबत प्रतिवादी दिनांक 149.11.2014 को कस्बा नगर मे स्पष्ट तौर से ऐलानियॉ धमकी दी है कि हम जबरन वादीगण के उक्त खसरा नं0 मे से होकर सडक रास्ता कायम कर सी.सी. रोड निर्माण कर वादीगण को बेदखल कर देगें, प्रतिवादी अगर ऐसा करने मे कामयाब हुये तो वादीगण को अपूर्णीय क्षती जिसकी पूर्ती जर्रे नकद धनराशि नही हो सकेगी। अत प्रतिवादी को पाबंद फरमाया जावे कि वे वादीगण की खातेदारी के खसरा नम्बर 654/0.07, 655/0.04, 659/0.11 बाके कस्बा नगर तहसील नगर मे होकर कोई रास्ता आम व सी.सी. रोड निर्माण नही करे तथा वादीगण को बेदखल नही करे तथा अन्य ऐसा कोई कार्य नही करे जिससे हकूक वादीगण जायल हो।

प्रतिवादी ने हाजिर न्यायालय आकर इस आशय का जवाब दावा एंव काउन्टर क्लेम पेश किया है कि वादीगण ने ही बिना भूमि रूपान्तरण कराये अवैध रूप से कृषि भूमि मे निर्माण कर लिया है जिसकी बावत ना तो नगर पालिका नगर से कोई निर्माण स्वीकृति ली है और ना ही कोई विकास शुल्क जमा कराया है इस प्रकार स्वयं वादीगण का ही निर्माण कानूनी रूप से वैध नही है। वादीगण रकबा मुतदाविया की आड मे नगरपालिका नगर की भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है और अब भी अतिक्रमण जारी है। जिससे गन्दे पानी की निकासी दी है जहॉ काफी दल–दल हो चुका है जब

उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग) राज0

सुखपाल बगै0 बनाम अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका नगर

र पालिका नगर द्वारा रास्ता आम पर सी.सी. रोड निर्माण करने का निर्णय लिया तो वादीगण ने तथ्यो पर आधारित यह वादी पत्र पेश कर दिया है। अत दावा वादीगण वार्ड बाई लॉ है जो देश 7 नियम 11 (डी) के तहत काबिल खारिज है। अत जवाब दावा व काउन्टर क्लेम पेश कर वेदन है कि दावा वादीगण खारिज फरमाया जावे एंव वादीगण द्वारा जो अतिक्रमण कर लिया है से तुडवाया जावे।

दावा व जवाब दावा के अधार निम्न तनकियात कायम की गई।

1. आया विवादित आराजी खसरा नम्बर 654/0.07, 655/0.04, 659/0.11 बाके कस्बा नगर वादी बगै0 की खातेदारी का रकबा है जिसमे प्रतिवादी गैरकानूनी तरीके से रास्ता व सी.सी. रोड बनाना चाहते है?
   ----जिम्मे वादीगण
2. आया वादीगण प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने के अधिकारी है?
   ----जिम्मे वादीगण
3. आया वादी ने बिना भूमि रूपान्तरण कराये और ना ही निर्माण स्वीकृती ली है और निर्माण कार्य कर लिया है?
   ----जिम्मे प्रतिवादी
4. आया वादी ने नगर पालिका नगर की भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है और अतिक्रमण जारी है?
   ----जिम्मे प्रतिवादी
5. आया दावा वादीगण आदेश 7 नियम 11 (डी) के तहत काबिल खारिज है?
   ----जिम्मे प्रतिवादी
6. दादरसी?

पत्रावली साक्ष्य मे नियत की गई वादी द्वारा वाद के समर्थन मे नकल जमांबदी संवत 2067–70 बाके कस्बा नगर पेश की तथा वादी सुखपाल पुत्र झम्मन जाति माली निवासी कस्बा नगर तहसील नगर जिला डीग का शपथ पत्र pw1, राजेन्द्र कुमार पुत्र रमेश चन्द जाति जांगिड निवासी कस्बा नगर तहसील नगर का शपथ पत्र pw2 प्रस्तुत किया। वकील प्रतिवादी ने अपने जवाब दावा के समर्थन में प्रतिवादी हाल अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका नगर का शपथ पत्र dw1 प्रस्तुत किया।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली का समग्र अध्ययन/अवलोकन किया गया। तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार किया जाता है:–

<u>तनकी संख्या 01:–</u> आया विवादित आराजी खसरा नम्बर 654/0.07, 655/0.04, 659/0.11 बाके कस्बा नगर वादी बगै0 की खातेदारी का रकबा है जिसमे प्रतिवादी गैरकानूनी तरीके से रास्ता व सी.सी. रोड बनाना चाहते है:– इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर रहा है। जमाबंदी सवंत 2067–70 ग्राम कस्बा नगर के अनुसार खसरा नं0 655/0.04 किस्म गैर मूमकिन चाह. 654/0.07 किस्म बंजड व खसरा नं0 659/0.11 किस्म गैर मूमकिन रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग) राज0

की खातेदारी वादीगण व हरदेई पुत्री झम्मन की सहखातेदारी मे दर्ज रिकॉर्ड है। वाद का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि सहखातेदार हरदेई को मूल वाद मे पक्षकार नही बनाया गया है परन्तु वाद की विषय–वस्तु मे वादीगण द्वारा अपने–अपने हिस्से पर काबिज होना अंकित किया है। प्रतिवादी द्वारा जवाब व बहस मे वादीगण की खातेदारी होना तो स्वीकार किया है लेकिन यह स्पष्ट नही किया गया है कि वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि पर उसके द्वारा रास्ता व सी.सी. रोड का निर्माण किस हैसियत किया जा रहा है जवाब दावा व काउन्टर क्लेम मे प्रतिवादीगण द्वारा यह कथन किया है कि वादीगण ने अतिक्रमण कर गन्दे पानी निकासी रोक दी है जहॉ काफी दलदल हो चुका है उस पर सी.सी. रोड बनाने का नगर पालिका द्वारा निर्णय लिया गया है लेकिन उक्त जवाब से यह स्पष्ट नही है कि वादीगण द्वारा अतिक्रमण नगरपालिका की किस भूमि पर किया गया है। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र मे वादग्रस्त खसरा नम्बरान बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया है अत रिकॉर्ड मे दर्ज खातेदारी भूमि होने से वादीगण उक्त तनकी को साबित करने मे सफल रहे है।

<u>तनकी संख्या 02:–</u> आया वादीगण प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने के अधिकारी है:– इस तनकी को साबित करने का भार भी वादीगण पर है चूकि वादग्रस्त भूमि वादीगण की रिकॉर्ड के अनुसार सहखातेदारी की भूमि प्रमाणित है। प्रतिवादी द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किये जिसमे स्टेटमैन्ट डिटेल, निविदा की प्रति व वर्क ऑर्डर आदि दावा प्रस्तुत होने से ठीक पूर्व के प्रस्तुत किये है अत स्पष्ट है कि वादीगण को हकतलफी होने पर उनके द्वारा माननीय न्यायालय मे अनुतोष हेतु वाद संस्थित किया है अत प्रतिवादी ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही कर पाये जिससे यह स्पष्ट हो की वादग्रस्त भूमि पर उनके द्वारा पूर्व से ही कोई निर्माण कर कब्जा कर रखा हो। अत वादीगण रिकॉर्डेड खातेदार होने से प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकार रखते है। उक्त तनकी को भी साबित करने मे वादीगण सफल रहे है।

<u>तनकी संख्या 03:–</u> आया वादी ने बिना भूमि रूपान्तरण कराये और ना ही निर्माण स्वीकृती ली है और निर्माण कार्य कर लिया है:– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब व काउन्टर क्लेम मे उक्त कथन को उल्लेखित किया है कि वादीगण द्वारा बिना भूमि रूपान्तरण कराये ही अवैध रूप से कृषि भूमि निर्माण कर लिया गया है जिसकी नगरपालिका से कोई निर्माण स्वीकृती नही ली गई है। पत्रावली पर इसके संबध मे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। केवल अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका नगर का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अत उक्त तनकी दस्तावेजी साक्ष्य व सबूदात मे विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

<u>तनकी संख्या 04:–</u> आया वादी ने नगर पालिका नगर की भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है और अतिक्रमण जारी है:– इस तनकी को साबित करने का भार भी प्रतिवादी पर है। उक्त तनकी बाबत भी कोई ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य व सबुदात प्रस्तुत नही किया है कि नगरपालिका के किस खसरा नम्बर की भूमि पर वादीगण द्वारा अतिक्रमण किया गया है। अत साक्ष्य व सबुदात के अभाव मे यह तनकी विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग) राज0

तनकी संख्या 05:– आया दावा वादीगण आदेश 7 नियम 11 (डी) के तहत काबिल खारिज है:– इस तनकी को साबित करने का भार भी प्रतिवादी पर है। जवाब दावा व काउन्टर क्लेम मे उक्त दावे को वार्ड बाई लॉ बताया है लेकिन ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर व दौराने बहस प्रस्तुत नही किया है कि उक्त दावा किस तरह से वार्ड बाई लॉ है। अत यह तनकी भी विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उपरोक्त अनुसार तनकीवार विवेचन अनुसार वाद वादीगण साबित करने मे सफल रहे है। अत वादीगण स्वीकार किया जाना व प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम खारिज किया जाना न्यायोचित है। वादपत्र के सलंग्न जमाबंदी मे वर्णित खसरा नं0 659/0.11 है0 राजस्व रिकॉर्ड मे गैरमुमकिन रास्ते रूप मे दर्ज है चूंकि उक्त खसरा नं0 की किस्म रास्ता होने से आमजन के आवागमन का मार्ग है। अत उक्त वाद के निर्णय की आड मे आमजन के आवागमन का मार्ग या उक्त रास्ते के उपयोग बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष दिया जाना वादीगण को यह न्यायालय न्यायोचित नही समझता है लेकिन किसी तरीके का पक्का निर्माण वादीगण की सहमती के किया जाना भी न्यायोचित नही है।

:आदेश:

अत वाद वादीगण स्वीकार तथा प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम खारिज किया जाकर प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 654/0.07, 655/0.04, बाके कस्बा नगर तहसील नगर मे से होकर कोई नया सी.सी. रोड का निर्माण नही करे तथा वादीगण को बेदखल नही करे तथा अन्य ऐसा कोई कार्य नही करे जिससे हकूक वादीगण जायल हो। खसरा नं0 659/0.11 बाके कस्बा नगर गैर. मूमकिन रास्ता का उपयोग रिकॉर्ड किस्म के अनुसार होता रहेगा लेकिन प्रतिवादी नगरपालिका नगर उक्त खसरा नं0 पर बिना वादीगण की सहमती के कोई निर्माण नही करेगी। इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 21.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(दुर्गा प्रसाद मीना)R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग)

उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग) राज0

सुखपाल बगै0 बनाम अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका नगर

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तनाई
(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नगर (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी – दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस.)

वाद संख्या :– 105/2014 **तारीख दायरा:–26.11.2014**

सुखपाल
नरेश चन्द
निहालसिंह
पिसरान स्व0 झम्मन जाति माली निवासी कस्बा नगर तहसील नगर जिला डीग।

––––वादीगण

बनाम

श्रीमान अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका नगर जिला डीग।

––––––प्रतिवादी

<u>दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट.</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू हमारे बहाजरी वादी श्री संदिप मदान अभिभाषक मिनजानिब मुद्दई श्री अनिल कुमार गोयल अभिभाषक मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है कि वाद वादीगण स्वीकार तथा प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम खारिज किया जाकर प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 654/0.07, 655/0.04, बाके कस्बा नगर तहसील नगर मे से होकर कोई नया सी.सी. रोड का निर्माण नही करे तथा वादीगण को बेदखल नही करे तथा अन्य ऐसा कोई कार्य नही करे जिससे हकूक वादीगण जायल हो। खसरा नं0 659/0.11 बाके कस्बा नगर गैर. मूमकिन रास्ता का उपयोग रिकॉर्ड किस्म के अनुसार होता रहेगा लेकिन प्रतिवादी नगरपालिका नगर उक्त खसरा नं0 पर बिना वादीगण की सहमती के कोई निर्माण नही करेगी।

डिक्री बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21.02.2025 को जारी की गयी।

21/2/25

(दुर्गा प्रसाद मीना)R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग)

उपखण्ड अधिकारी
नगर (डीग) राज0